



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 10—मई 16, 2008 (वैशाख 20, 1930)
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10—MAY 16, 2008 (VAISAKHA 20, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 9 अप्रैल 2008

संदर्भ : बैंपविवि. सं. आईबीडी.-14241/23.13.048/2007-08--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएं :--

“अरब बांगलादेश बैंक लिमिटेड” शब्दों के स्थान पर “एबी बैंक लिमिटेड” शब्द होंगे।

आनन्द सिन्हा
कार्यपालक निदेशक